संख्या-35/2016-923/14-4-2016-32/2016

प्रेषक,

मो0 जुनीद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त उप वन संरक्षक,
उत्तर प्रदेश।
2- समस्त प्रभागीय निदेशक,
सामाजिक वानिकी, उत्तर प्रदेश।

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-4 **लखनऊ:दिनॉक:** 27 **अप्रैल,2016**

विषय- अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-2017 में आय-व्ययक प्राविधानित धनराशि का योजनावार, जनपदवार, प्रभागवार एवं लेखा शीर्षकानुसार आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22-03-2016 के क्रम में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या पी-1214/36-बी-15(जी)/बजट (2016-17), दिनांक 29-03-2016 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय वर्ष 2016-17 के लिए अनुदान संख्या-60 के आयोजनागत-जिला सेक्टर की योजनाओं हेतु आय-व्ययक में प्राविधानित कुल धनराशि रू0 2534582000/- के सापेक्ष रू0 1092121000/- (रू0 एक अरब नौ करोड इक्कीस लाख इक्कीस हजार मात्र) की धनराशि वर्ष 2015-16 हेतु नियोजन विभाग के अर्द्ध शासकीय पत्र संख्या-9/4/35-आ-2/2014-33, दिनांक 09-12-2015 स्वीकृति परिव्यय को वर्ष 2016-17 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुये तथा जनपद गाजियाबाद तथा मुजफ्फरनगर के लिए वर्ष 2014-15 हेतु नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-9/4/35-आ-2/2013-36, दिनांक 20-01-2015 से अनुमोदित परिव्यय को वर्ष 2016-17 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुये एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के उक्त कार्यालय ज्ञात दिनांक 22-03-2016 में निहित निदेशों के अधीन आपके निर्वतन पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबंधो के अधीन रखे जाने की निम्न प्रकार सहर्ष स्वीक़ति प्रदान करते है:-

(**धनराशि रू0 हजार में**)

योजना का नाम	अनन्तिम परिव्यय (सामान्य)	वित्तीय वर्ष 2016-17 में आय-व्ययक प्राविधान	स्वीकृति की जा रही धनराशि
1-सामाजिक वानिकी	1071621	2514082	1071621
2-शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी	289727	20000	20000
3-भवन निर्माण	19525	500	500
योग:-	1380873	2534582	1092121

(रू0 एक अरब नौ करोड इक्कीस लाख इक्कीस हजार मात्र)

2- नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-9/1/35-आ-2/2014-33, दिनांक 09-12-2015 द्वारा वर्ष 2015-16 के लिए स्वीकृत परिव्यय को वर्ष 2016-17 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुए जिला योजनाओं के अन्तर्गत

http://shasanadesh.up.nic.in

योजनावार/जनपदवारा अनन्तिम परिव्यय के सापेक्ष अनन्तिम रूप से स्वीकृतियां निर्गत की जा रही हैं। वर्ष 2015-16 में जनपद गाजियाबाद तथा मुजफ्फरनगर की जिला योजना अनुमोदित नही की गयी थी अतएव इन जनपदों के लिए वर्ष 2014-15 के लिए नियोजन विभाग के शासनादेश संख्या-9/4/35-आ-2/2013-36, दिनांक 20-01-2015 से योजनावार अनुमोदित परिव्यय को वर्ष 2016-17 का अनन्तिम परिव्यय मानते हुये अनन्तिम रूप से स्वीकृतियां जारी की जा रही हैं। वर्ष 2016-17 हेतु नियोजना विभाग से परिव्यय अनुमोदित होने के उपरान्त उक्त आवंटन की सीमा तक समायोजित किया जायेगा। तदानुसार सम्बन्धित जनपदों की जिला योजना समिति का कायोत्तर अनुमोदन भी प्राप्त करेंगें।

3- उक्त धनराशियों का आवंटन स्वयं में व्यय करने का अधिकार नहीं देता है। अतः जिस व्यय के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों अथवा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा शासन के वर्तमान आदेशानुसार शासन की अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व सहमति लिया जाना अपेक्षित है, उसे व्यय करने से पूर्व अनिवार्यतः प्राप्त किया जाय। वस्तुओं का क्रय स्टोर परचेज वित्तीय नियमों के अधीन ही किया जाय। भवनों के निर्माण कार्य के संबंध में नवीनतम निर्गत शासनादेशों में उल्लिखित नियमों के अनुसार कार्यवाही सम्पादित कराई जाय। व्यय करते समय मितव्ययता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या-सी0ए0-1132/ दस-2004-1/2004, दिनांक 07-01-2015 एवं इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/ वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 8 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

5- स्वीकृत धनराशि के विरूद्ध उक्त योजनाओं के अन्तर्गत जनपदवार/प्रभागवार/योजनावार भौतिक लक्ष्य तथा समय सारणी अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित किये जायेंगे। उनके द्वारा आवंटित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति निर्धारित समय-सारणी के अनुसार सुनिश्चित की जाय। योजनावार स्वीकृत धनराशि से किसी अन्य योजना का कार्य कदापि न कराया जाय।

6- उक्त जिला योजनाओं के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के नियमानुसार समुचित उपयोग हेतु संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं कराए जाने वाले कार्यों की गुणवत्ता तथा नियमानुसार निष्पादन हेतु उनकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।

7- आवंटित धनराशि को यदि किसी ऐसे मद पर जिसके लिए वित्तीय हस्त-पुस्तिका एवं बजट मैनुएल के नियमों के अन्तर्गत शासन या अन्य सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति आवश्यक हो तो, बिना स्वीकृति प्राप्त किये व्यय कदापि न किया जाय।

8- अतिरिक्त अनुदान की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय न किया जाए और इस प्रकार चालू वित्तीय वर्ष की देनदारी अगले वित्तीय वर्ष के लिए कदापि न छोड़ी जाए।

9- भवन निर्माण योजना के अन्तर्गत धनराशि का उपयोग निर्मित होने वाले भवनों के मास्टर प्लान आदि तैयार कराकर सक्षम अधिकारी से प्रशासनिक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही किया जाय। अपूर्ण भवनों का निर्माण प्राथमिकता पर कराया जाय। इस योजना के अन्तर्गत भवन निर्माण कार्य मुख्य सचिव,

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तर प्रदेश शासन, वित्त संसाधन(विविध) अनुभाग की पत्र संख्या-1135/दस-सं0वि0.मित0-1-99, दिनांक 10-09-1999 में निहित निर्देशों के अनुसार ही कार्यान्वित कराये जाएं।

10-. आवंटित धनराशि के सभी बिलों चाहे वे वेतन आदि से संबधित हों अथवा आकस्मिक व्यय के संबंध में, पर अनुदान संख्या-60 सहित सही एवं सम्पूर्ण मुख्य, उप मुख्य, लघु, उप लघु, विस्तृत शीर्षक एवं मानक मदों को अंकित किया जाए और प्रत्येक बिल के दाहिने ओर लाल स्याही में "आयोजनागत" शब्द अवश्य लिखा जाए, ताकि महालेखाकार उत्तर प्रदेश को सही आकड़े के पुस्तांकन में कठिनाई न हो।

11- कृपया आवंटी व्यक्तिगत रूप से यह भी सुनिश्चित करें कि इन आवंटन से आपसे सम्बिन्धत प्रभाग से आहरित की गयी धनराशि की प्रगति तथा भौतिक उपलब्धियों का विवरण निर्धारित प्रपत्र तथा बी0एम0-13 प्रपत्र में संकलित कर प्रत्येक माह की पॉच तारीख तक मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक /वन संरक्षक/क्षेत्रीय निदेशक, संबंधित जोनल मुख्य वन संरक्षक तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ एवं शासन को प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराय दिया जाये।

12- धनराशि के आवंटन की इस प्रक्रिया को अपनाने से विभागाध्यक्ष/वन संरक्षकों के निर्धारित उत्तरदायित्व पूर्ववत बने रहेंगें। अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा आवंटित भौतिक व वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए संबंधित मण्डलीय मुख्य वन संरक्षक/वन संरक्षक उत्तरदायित्व होगें। अत: यह आवश्यक है कि समस्त जिला स्तरीय योजनाओं की वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों की प्रगति की अनुश्रवण प्रत्येक माह करते रहें तथा प्रगति से अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को अवगत कराना सुनिश्चित करें, जो प्रत्येक स्तर की संकलित सूचना शासन को उपलब्ध करायेंगें।

13- उपरोक्त के अतिरिक्त शासन के नियोजन तथा वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी मार्ग निर्देशों को कडाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

14- जिला योजना के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यों में क्षेत्रवार निश्चित योजना (लोकेशन स्पेसिफिक एक्शन प्लान) की प्रतियां जिला समन्वय निस्तारण अधिकारी द्वारा जनप्रतिनिधियों, आयुक्त जिला अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय। यह सूचना क्षेत्र व ग्राम स्तर पर भी अवश्य उपलब्ध करायी जाय, ताकि वन एवं वन्य जीव विभाग के कार्य कलापों की जानकारी जन साधारण में रहें व कार्यों की गुणवत्ता एवं विश्वसनीयता बनी रहें।

15- व्यय को विभागीय मानकों के अनुरूप सुनिश्चित करने हेतु समयबद्ध कार्यक्रम तथा अनुश्रवण समय सारणी भी प्रभागीय स्तर से लेकर अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के स्तर तक सुनिश्चित कर ली जाय।

16- पंचायती राज संस्थाओं को शक्तिशाली बनाने हेतु अधिकारों, दायित्वों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण हेतु उत्तर प्रदेश शासन के परती भूमि विकास अनुभाग के शासनादेश संख्या-406/14- प0भू0वि0/99-3/99, दिनॉक 19-03-1999 के द्वारा जारी निर्देशों का पालन करते हुए संबंधित योजनाओं को कार्यान्वित किया जाए।

17-. यह आदेश वित्त विभाग के पत्र संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22-03-2016 में प्रतिनिहित अधिकारों तथा निर्देशों के अनुपालन में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक-यथोपरि।

http://shasanadesh.up.nic.in

भवदीय

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

संख्या-923(1)/14-4-2016-32/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को मय संलग्नक सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद तथा केन्द्रीय भवन दसवां तल, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
3. महालेखाकार (लेखापरीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4. प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष , उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, आई0टी0, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, योजना एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8. मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी, दक्षिणी, केन्द्रीय, बुन्देलखण्ड, रूहेलखण्ड, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तर प्रदेश तथा मुख्य वन संरक्षक वन्यजीव, पश्चिमी, वन्यजीव, पूर्वी, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि अपर प्रमुख वन संरक्षक, सामाजिक एवं कृषि वानिकी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ द्वारा निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति तथा कार्यों की गुणवत्ता अपने स्तर से सुनिश्चित करायें।
9. समस्त वन संरक्षक/समस्त क्षेत्रीय निदेशक, उत्तर प्रदेश।
10. वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख वन संरक्षक, उ0प्र0, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संलग्नकों में इगिंत जनपदवार प्रभागवार, आहरण एवं वितरण अधिकारीवार संशोधित धनराशि की साख-सीमा अपने स्तर से सम्बन्धित निस्तारण अधिकारियों को निर्गत करने का कष्ट करें।
11. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
12. समस्त जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
13. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2 (नियोजन विभाग).
14. वित्त (व्यय-नियंत्रण, अनुभाग-7)/वित्त आय-व्ययक (अनुभाग-1).
15. वन अनुभाग-1, 2, 3 तथा 5.
16. निदेशक, सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, उ0प्र, लखनऊ।
17. अनुभागीय आदेश पुस्तिका।

संलग्नक-यथोपरि।

आज्ञा से,

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या–923/14–4–2016–32/2016 दिनांक 27–04–2016 का संलग्नक

संलग्नक–1

योजना–सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना)

चालू वित्तीय वर्ष 2016–17 के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि का आवंटन

अनुदान संख्या–60 के पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक–4406–वानिकी तथा वन्य जीव पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–01–वानिकी–102–समाज तथा फार्म वानिकी– 03–सामाजिक वानिकी (सी0सी0एल0)(जिला योजना)– 24–वृहत् निर्माण कार्य

(रु0 हजार में)

क्र0 सं0	मण्डल/जनपद/प्रभाग का नाम		परिव्यय (अनन्तिम)	स्वीकृत धनराशि
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम		
1	2	3	4	5
1	आगरा	आगरा	18018	17901
		चम्बल पशु विहार		117
2	मैनपुरी	मैनपुरी	1571	1571
3	मथुरा	मथुरा	10000	10000
4	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	31777	31777
	योग आगरा मण्डल		**61366**	**61366**
5	अलीगढ.	अलीगढ.	13228	13228
6	हाथरस़	हाथरस़	6967	6967
7	एटा	एटा	3320	3320
8	कासगंज	कासगंज	3964	3964
	योग अलीगढ. मण्डल		**27479**	**27479**
9	बरेली	बरेली	11133	11133
10	बदायूं	बदायूं	941	941
11	पीलीभीत सा0वा0	पीलीभीत सा0वा0	2831	2831
12	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	39435	39435
	योग बरेली मण्डल		**54340**	**54340**
13	मेरठ	मेरठ	6592	6592
14	बागपत	बागपत	3256	3256
15	गाजियाबाद	गाजियाबाद	1668	1668
16	हापुड	हापुड	10297	10297
17	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर	3326	3326
18	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	11333	11333
	योग मेरठ मण्डल		**36472**	**36472**
19	सहारनपुर	सहारनपुर	2414	112
		शिवालिक		2302
20	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	3994	3994
21	शामली	शामली	3027	3027
	योग सहारनपुर मण्डल		**9435**	**9435**

http://shasanadesh.up.nic.in

22	मुरादाबाद	मुरादाबाद	2651	2651
23	सम्भल	सम्भल	5280	5280
24	अमरोहा	अमरोहा	22414	22414
25	रामपुर	रामपुर	2258	2258
26	बिजनौर	बिजनौर	13514	7054
		नजीबाबाद		6460
	योग मुरादाबाद मण्डल		**46117**	**46117**
27	वाराणसी	वाराणसी	2163	2163
28	चंदौली	काशी वन्य जीव	20080	20080
29	गाजीपुर	गाजीपुर	11712	11712
30	जौनपुर	जौनपुर	19099	19099
	योग वाराणसी मण्डल		**53054**	**53054**
31	संतरविदास नगर भदोही	संतरविदास नगर भदोही	5748	5748
32	मिर्जापुर	मिर्जापुर	8871	7568
		कैमूर वन्यजीव		1303
33	सोनभद्र	सोनभद्र	17301	7300
		रेनुकूट		3772
		ओबरा		6229
	योग विन्ध्याचल मण्डल		**31920**	**31920**
34	गोरखपुर	गोरखपुर	12444	12444
35	महराजगंज	सोहागीबरवा वन्यजीव	19002	16764
		गोरखपुर		2238
36	देवरिया	देवरिया	2848	2848
37	पडरौना(कुशीनगर)	पडरौना(कुशीनगर)	8081	8081
	योग गोरखपुर मण्डल		**42375**	**42375**
38	बस्ती	बस्ती	21960	21960
39	संतकवीर नगर	संतकवीर नगर	30516	30516
40	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	10035	10035
	योग बस्ती मण्डल		**62511**	**62511**
41	आजमगढ.	आजमगढ.	8689	8689
42	मऊ	मऊ	5000	5000
43	बलिया	बलिया	11400	11400
	योग आजमगढ़ मण्डल		**25089**	**25089**
44	इलाहाबाद	इलाहाबाद	38135	38135
45	कौशाम्बी	कौशाम्बी	12884	12884
46	फतेहपुर	फतेहपुर	1478	1478
47	प्रतापगढ.	प्रतापगढ.	5795	5795
	योग इलाहाबाद मण्डल		**58292**	**58292**
48	लखनऊ	लखनऊ	7775	7775

http://shasanadesh.up.nic.in

49	रायबरेली	रायबरेली	42500	42500
50	हरदोई	हरदोई	19331	19331
51	उन्नाव	उन्नाव	19166	19166
52	सीतापुर	सीतापुर	39275	39275
53	खीरी	उत्तरी खीरी	19009	9096
		दक्षिणी खीरी		9913
	योग लखनऊ मण्डल		**147056**	**147056**
54	फैजाबाद	फैजाबाद	25000	25000
55	अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर	36158	36158
56	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	28476	28476
57	अमेठी	अमेठी	36050	36050
58	बाराबंकी	बाराबंकी	30805	30805
	योग फैजाबाद मण्डल		**156489**	**156489**
59	गोन्डा	गोन्डा	5781	5781
60	बलरामपुर	सोहेलवा वन्य जीव	8357	5216
		गोन्डा		3141
61	श्रावस्ती	श्रावस्ती	34878	34878
62	बहराइच	बहराइच	31771	31468
		कतरनियांघाट वन्य जीव		303
	योग देवीपाटन मण्डल		**80787**	**80787**
63	कानपुर नगर	कानपुर	30998	30998
64	कानपुर देहात	कानपुर देहात	5056	5056
65	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	14387	14387
66	कन्नौज	कन्नौज	7374	7374
67	औरैया	इटावा	6761	6761
68	इटावा	इटावा	4034	4034
	योग कानपुर मण्डल		**68610**	**68610**
69	झांसी	झांसी	11059	11059
70	ललितपुर	ललितपुर	16465	16465
71	जालौन	जालौन	21440	21440
	योग झांसी मण्डल		**48964**	**48964**
72	हमीरपुर	हमीरपुर	22841	22841
73	महोबा	महोबा	5699	5699
74	बांदा	बांदा	25201	25201
75	चित्रकूट	चित्रकूट	7524	7199
		कैमूर वन्यजीव प्रभाग		325
	योग चित्रकूट धाम मण्डल		**61265**	**61265**
	कुल योग		**1071621**	**1071621**

http://shasanadesh.up.nic.in

(रु0 एक अरब सात करोड़ सोलह लाख इक्कीस हजार मात्र)

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

शासनादेश संख्या–923/14–4–2016–32/2016 दिनांक 27–04–2016 का संलग्नक

संलग्नक–2

योजना– शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी योजना (जिला योजना)

चालू वित्तीय वर्ष 2016–2017 के पूरे वर्ष के व्यय हेतु स्वीकृत धनराशि का आवटंन

अनुदान संख्या–60 के पूँजी लेखा के लेखाशीर्षक–4406–वानिकी तथा वन्यजीव पर पूँजीगत परिव्यय–आयोजनागत–01–वानिकी–102–समाज तथा फार्म वानिकी–04–शहरी क्षेत्र में सामाजिक वानिकी (सी0सी0एल0)(जिला योजना)–24–वृहत् निर्माण कार्य–

(रु0 हजार में)

क0 सं0	मण्डल/जनपद/प्रभाग का नाम		परिव्यय (अनन्तिम)	स्वीकृत धनराशि
	जनपद का नाम	प्रभाग का नाम		
1	2	3	4	5
1	आगरा	आगरा	3067	212
2	मैनपुरी	मैनपुरी	317	22
3	मथुरा	मथुरा	12500	863
4	फिरोजाबाद	फिरोजाबाद	887	61
	योग आगरा मण्डल		**16771**	**1158**
5	अलीगढ.	अलीगढ.	4420	305
6	हाथरस	हाथरस	2619	181
7	एटा	एटा	511	35
8	कासगंज	कासगंज	864	60
	योग अलीगढ. मण्डल		**8414**	**581**
9	बरेली	बरेली	4737	327
10	बदायूँ	बदायूँ	4052	280
11	पीलीभीत	पीलीभीत सा0वा0	327	23
12	शाहजहांपुर	शाहजहांपुर	565	39
	योग बरेली मण्डल		**9681**	**669**
13	मेरठ	मेरठ	3428	237
14	बागपत	बागपत	3101	214
15	गाजियाबाद	गाजियाबाद	5119	353
16	हापुड.	हापुड.	7865	543

17	गौतमबुद्ध नगर	गौतमबुद्ध नगर	806	56
18	बुलन्दशहर	बुलन्दशहर	3743	258
	योग मेरठ मण्डल		**24062**	**1661**
19	सहारनपुर	सहारनपुर	97	7
20	मुजफ्फरनगर	मुजफ्फरनगर	366	25
21	शामली	शामली	530	37
	योग सहारनपुर मण्डल		**993**	**69**
22	मुरादाबाद	मुरादाबाद	700	48
23	सम्भल	सम्भल	2400	166
24	अमरोहा	अमरोहा	960	66
25	रामपुर	रामपुर	1192	82
26	बिजनौर	बिजनौर	1262	87
	योग मुरादाबाद मण्डल		**6514**	**449**
27	वाराणसी	वाराणसी	4741	327
28	चंदौली	काशी वन्य जीव	2465	170
29	गाजीपुर	गाजीपुर	15531	1072
30	जौनपुर	जौनपुर	2922	202
	योग वाराणसी मण्डल		**25659**	**1771**
31	संत रविदासनगर भदोही	भदोही	620	43
32	मिर्जापुर	मिर्जापुर	786	41
		कैमूर वन्य जीव		13
33	सोनभद्र	सोनभद्र	3245	116
		रेनुकूट		54
		ओबरा		54
	योग विन्ध्याचल मण्डल		**4651**	**321**
34	गोरखपुर	गोरखपुर	2365	163
35	महराजगंज	सोहागीबरवा वन्य जीव	5526	305
		गोरखपुर		76
36	देवरिया	देवरिया	313	22
37	कुशीनगर	कुशीनगर	6284	434
	योग गोरखपुर मण्डल		**14488**	**1000**
38	बस्ती	बस्ती	7680	530
39	संत कबीर नगर	बस्ती	7825	540
40	सिद्धार्थनगर	सिद्धार्थनगर	5200	359
	योग बस्ती मण्डल		**20705**	**1429**
41	आजमगढ़	आजमगढ़	1598	110
42	मऊ	मऊ	1572	109
43	बलिया	बलिया	2650	183

www.upnic.in

	योग आजमगढ. मण्डल		**5820**	**402**
44	इलाहाबाद	इलाहाबाद	4000	276
45	कौशाम्बी	कौशाम्बी	4209	290
46	फतेहपुर	फतेहपुर	500	35
47	प्रतापगढ.	प्रतापगढ.	1553	107
	योग इलाहाबाद मण्डल		**10262**	**708**
48	लखनऊ	लखनऊ	11200	773
49	रायबरेली	रायबरेली	3000	207
50	हरदोई	हरदोई	4038	279
51	उन्नाव	उन्नाव	727	50
52	सीतापुर	सीतापुर	9370	647
53	खीरी	उ0खीरी	677	25
		द0खीरी		22
	योग लखनऊ मण्डल		**29012**	**2003**
54	फैजाबाद	फैजाबाद	1000	69
55	अम्बेडकर नगर	अम्बेडकर नगर	5031	347
56	सुल्तानपुर	सुल्तानपुर	5479	378
57	अमेठी	अमेठी	5000	345
58	बाराबंकी	बाराबंकी	2646	183
	योग फैजाबाद मण्डल		**19156**	**1322**
59	गोण्डा	गोण्डा	2517	174
60	बलरामपुर	सोहेलवा वन्य जीव	4073	281
61	श्रावस्ती	श्रावस्ती	4711	325
62	बहराईच	बहराईच	4733	312
		कतरनियाघाट वन्य जीव		15
	योग देवीपाटन मण्डल		**16034**	**1107**
63	कानपुर–नगर	कानपुर	35465	2448
64	कानपुर–देहात	कानपुर–देहात	2023	140
65	फर्रुखाबाद	फर्रुखाबाद	13716	946
66	कन्नौज	कन्नौज	5561	384
67	औरैया	औरैया	938	65
68	इटावा	इटावा	319	22
	योग कानपुर मण्डल		**58022**	**4005**
69	झांसी	झांसी	3486	241
70	ललितपुर	ललितपुर	549	38
71	जालौन	जालौन	1000	69
	योग झांसी मण्डल		**5035**	**348**
72	हमीरपुर	हमीरपुर	1003	69

sn.up.nic.in

73	महोबा	महोबा	2386	165
74	बांदा	बांदा	9233	637
75	चित्रकूट	चित्रकूट	1826	126
	योग चित्रकूट धाम मण्डल		**14448**	**997**
	कुल योग		**289727**	**20000**

(रुपये दो करोड़ मात्र)

(मो0 जुनीद)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.nic